प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 31 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-44244-359/प्रोबेशन-3/(एम-17-11-2016) दिनांक-16-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी-गिरधरपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड़ का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.1992 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या की पुरानी रंजिश में रायफल व बन्दूक से फायर कर मारूती कार में सवार बृजपाल सिंह के परिवार के 06 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-385/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 427 302, व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-05-2005 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोष मुक्त, तथा एक अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 26-06-2016 तक 19 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 08 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड़ ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होनें की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक, हापुड़ ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सतेन्द्र (बन्दी संख्या-11562) पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी जनपद गाजियाबाद हाल जिला हापुड़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-251/2017/153(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हापुड़।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-251/2017/153/22-2-2017-17(28)/2017

दिनांक 31 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री ओम प्रकाश, निवासी-गिरधरपुर, थाना-हाफिजपुर, जनपद-गाजियाबाद हाल जिला हापुड का रहने वाला है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.09.1992 को अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हत्या की पुरानी रंजिश में रायफल व बन्दूक से फायर कर मारूती कार में सवार बृजपाल सिंह के परिवार के 06 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-385/1994 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-307, 427, 302, व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 19-12-2002 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त दण्ड के विरूद्ध योजित अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13-05-2005 द्वारा मृत्यु दण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया है। बन्दी के 03 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय से दोष मुक्त, तथा एक अन्य सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। बन्दी द्वारा दिनांक 26-06-2016 तक 19 वर्ष 02 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 23 वर्ष 08 माह 20 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, हापुड ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध करने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होनें की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक, हापुड ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, बन्दी पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, हापुड ने बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने की श्रेणी में आने, बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने का अवसर होने, बन्दी जेल से बाहर आने पर पुन: अपराध कर सकने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हापुड द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री ओमप्रकाश को फार्म-ए/लाईसेंस पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in